

**दिनांक 24.04.2015 को आधार प्रोजेक्ट के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही:-**

विकास आयुक्त, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित UIDAI के Chairman तथा DG श्री वी.एस. मदान एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। श्री मदान द्वारा बिहार में चल रहे आधार परियोजना की समीक्षा की गई।

1. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार में आधार कार्ड बनाने का कार्य 2011 से UIDAI द्वारा NSR के माध्यम से प्रारंभ किया गया। विधिवत रूप से दिनांक-19.12.2014 से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य पंजीयक के रूप में आधार कार्ड निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। विभाग द्वारा इस कार्य के लिए 10 एजेन्सियों का निविदा के आधार पर चयन कर उन्हें जिले आवंटित कर दिये गये। वर्तमान में SR अंतर्गत कुल 8 एजेंसी 23 जिलों में आधार पंजीकरण का कार्य कर रही है। बिहार राज्य में अब तक 5.28 करोड़ (कुल जनसंख्या का 51%) का आधार पंजीकरण हो चुका है। जून 2015 तक युद्ध स्तर पर कार्य करके शत प्रतिशत लोगों का आधार कार्ड निर्माण का लक्ष्य है। प्रत्येक जिले में उप विकास आयुक्त, नोडल पदाधिकारी है तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी बनाये गये हैं। मुख्य सचिव स्तर से सभी जिला पदाधिकारी को पत्र दिया गया है जिसमें आधार निर्माण करने वाली एजेंसियों की सूची, उनके जिला स्तरीय समन्वयक का नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूची भेज दी गई है। आधार के प्रचार के लिए फ्लेक्सों का निर्माण कर जिलों में भेजा गया है। जिला में कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में कैम्प लगाने का आदेश दिया गया है। राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु शिक्षा विभाग से समन्वय किया जा रहा है तथा कैम्प मोड में कार्य कराने के लिए Work Plan बनाया जा रहा है। स्थायी आधार केन्द्र जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय तक लगाया जायेगा जिसकी जानकारी प्रचार माध्यमों से आम जनता को दी जायेगी। आधार की जानकारी के लिए [rddaadhar@gmail.com](mailto:rddaadhar@gmail.com) ई-मेल विभाग स्तर पर एवं जनशिकायत निवारण के लिए कॉल सेन्टर कार्यरत है। विभाग में योजना की Monitoring के लिए एक PMU (Projects Management Unit) भी कार्यरत है जो योजना का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण का कार्य कर रही है। UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का कैम्प कार्यालय भी ललित भवन, पटना में कार्यरत है।

2. श्री पी. के. उपाध्याय ADG, RO राँची द्वारा बिहार में आधार प्रोजेक्ट से संबंधित अद्यतन जानकारी PPT के माध्यम से दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि बिहार में SR/NSR पंजीकरण एजेंसी द्वारा 528,12,167 (51%) जनसंख्या का पंजीकरण हो चुका है। इसके लिए बिहार में कुल 8064 किट लगाए गये हैं। तथा अबतक कुल 443,56,992 (43%) लोगों को आधार कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं।

SR के तहत आधार पंजीकरण का कार्य दिनांक-02.01.2015 से प्रारंभ हुआ है SR के तहत आजतक कुल 26,11,299 लोगों का आधार पंजीकरण हो चुका है। इसके लिए बिहार में कुल 338 आधार केन्द्र तथा 1112 किट कार्यरत है। आधार पंजीकरण हेतु NSR के तहत कुल 2398

आधार केन्द्र तथा 6952 किट कार्यरत है। बिहार के 38 जिलों के लिए कुल 50 आधार पंजीकरण एजेंसी NSR के तहत कार्यरत है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभुकों, मनरेगा मजदूर, स्कॉलरशिप लाभार्थी, PDS, NSAP आदि योजनाओं के लाभार्थी के आधार Seeding का कार्य प्रगति पर है।

बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। अब तक 5.27 करोड़ जनसंख्या का आधार पंजीकरण किया जा चुका है। शेष 5.14 करोड़ जनसंख्या के आधार पंजीकरण हेतु दिनांक-30.06.2015 तक कुल 16795 किट की आवश्यकता है। SR के तहत कुल 7849 किट लगाने की आवश्यकता है।

विद्यालयों के छात्रों के आधार पंजीकरण के संबंध में बताया गया कि राज्य में कुल 74266 विद्यालयों में 2.47 करोड़ छात्र अध्ययनरत है। जिसमें से 1.04 करोड़ छात्रों का आधार पंजीकरण हो चुका है जबकी शेष 1.43 करोड़ छात्रों का आधार पंजीकरण किया जाना शेष है, जिसके लिए दिनांक-30.03.2015 को माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक, में विद्यालयों में कैम्प लगाकर बच्चों एवं अन्य छूटे हुए लोगों का आधार निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। छात्रों के आधार पंजीकरण से संबंधित Expression of interest (EOI) दिनांक-15.04.2015 को राज्य पंजीयक द्वारा विज्ञप्ति किया गया है।

ऑगनबाड़ी केन्द्रों के आधार पंजीकरण के संबंध में बताया कि बिहार में कुल 80995 ऑगनबाड़ी केन्द्र हैं। 0-5 वर्ष के कुल 131.69 लाख बच्चे हैं। इसमें से 3.64 लाख बच्चों का आधार पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। शेष 128.05 लाख बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु मई 2015 के पहले सप्ताह से कार्य प्रारंभ होगा। शीघ्र ही राज्य के सभी ऑगनबाड़ी सेविका/सी0डी0पी0ओ0/डी.डी.सी के साथ इस संबंध में एक विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाना है राज्य के सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों की सूची फोन नम्बर के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है।


3. ऑपरेटरों की कमी को दूर करने के संबंध में IT विभाग के प्रधान सचिव ने अपने विभाग से लगभग 5500 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सूची उपलब्ध करवा देने की बात कही। इन सूचियों से एजेंसियाँ अपनी आवश्यकता अनुरूप ऑपरेटरों की सूची UIDAI को उपलब्ध करायेंगे जिसे UIDAI आधार पंजीकरण कार्य हेतु प्रशिक्षित करने में सहयोग प्रदान करेंगे। सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने भी बताया कि उनके द्वारा लगभग 10 हजार ऑपरेटरों की सूची UIDAI राँची कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी। विभाग द्वारा जिलों में मास्टर ट्रेनर भी भेजा गया है जो कि जिलों में ऑपरेटर को प्रशिक्षण देंगे। विकास आयुक्त ने कहा कि स्थाई पंजीकरण केन्द्र (PEC) की स्थापना को विशेष महत्व देते हुए प्रखंड एवं पंचायतों में एक-एक PEC स्थापित किया जाना है। इसके लिए भी कम से कम 10,000 ऑपरेटरों की आवश्यकता पड़ेगी।

#### 4. बैठक में DG UIDAI ने निम्नलिखित निदेश दिये:-

- क. बिहार में अद्यतन जो 4.5 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, उनकी Seeding कराया जाय ।
- ख. PDS, NSAP, पेंशन, EPIC, Scholarship तथा MGNREGA आदि को आधार कार्ड से जोड़ने हेतु सभी विभाग आपस में समन्वय करना सुनिश्चित करें। आधार Seeding से संबंधित Database के लिए वित्त विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पंचायत स्तर तक डाटाबेस तैयार किया जाय । साथ ही Database को बैंक डाटा के साथ समय-समय पर अद्यतन किया जाय ।
- ग. आधार Seeding से संबंधित Work shop करवाने का निदेश दिया गया । बैंक प्रतिनिधियों ने बतलाया की आज की तिथि में 30 लाख जनता आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं । DG, UIDAI ने सलाह दिया कि डाटा के Seeding के समय UIDAI का e-KYC Application का उपयोग करने से त्रुटि नहीं के बराबर होगी । आधार Seeding के लिए सभी विभाग UIDAI का DSDV, RASF एवं E-KYC का इस्तेमाल कर सकते हैं । राज्य के 7 जिलों में व्यस्क जनसंख्या के 65 प्रतिशत भाग का आधार पंजीकरण पूर्ण हो चुका है । अतः इन जिलों में आधार Seeding तेजी से किया जा सकता है तथा निर्वाचन आयोग की मदद से संबंधित आधार कार्डधारी जनसंख्या का वोटर आई. डी. कार्ड तीव्रता से बनाया जा सकता है ।
- घ. बिहार राज्य में आधार प्रोजेक्ट में तीव्रता लाने एवं गुणवत्तायुक्त सुधार हेतु झारखंड राज्य में चल रहे आधार प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से लाभ उठाया जा सकता है । इसके लिए झारखंड राज्य का भ्रमण कर Seeding तथा Authentication से संबंधित Application की जानकारी ली जा सकती है । UIDAI RO Ranchi के अधिकारियों के साथ मिलकर इस संबंध में समन्वय स्थापित किया जाय । महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित ICT के लिए DPR, के साथ प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।
- ड. स्कूल में छात्रों के आधार पंजीकरण हेतु जो Special drive चलाया जाना है, उसके साथ ऑगनबाड़ी केन्द्र के लाभुको को भी जोड़ने का निदेश दिया गया । शिक्षा विभाग को आधार पंजीकरण से संबंधित स्त्यापन हेतु आवश्यक प्रारूप को पंजीकरण से पूर्व ही सभी विद्यालयों द्वारा तैयार करवा लेने का निदेश दिया गया । छात्रों का आधार पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में SR एवं NSR दोनों के द्वारा कराने का निदेश दिया गया ।
- च. डाक द्वारा आधार कार्ड की डिलेवरी समय पर नहीं हो पाती है। DG द्वारा e-Aadhar आधार कार्ड को डाउनलोड करने हेतु जागरूकता फैलाने एवं प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। साथ ही भविष्य में प्रत्येक स्थापित PEC पर आधार कार्ड Delivery की भी व्यवस्था करने का निदेश दिया गया । डाक विभाग को निदेश दिया गया कि परामर्शी टिप्पणी (Advisory Note) सभी पोस्ट ऑफिस को, आधार कार्ड Deliver के लिए जारी किया जाय ।
- छ. राज्य पंजीयक के अंतर्गत कार्य कर रहे विभिन्न पंजीकरण एजेंसियों द्वारा कार्य में गति लाने हेतु उन्हें ससमय राशि भुगतान के संबंध में मुख्य सचिव ने एक सप्ताह के समय सीमा के तहत राशि भुगतान करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया ।

5. समीक्षोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये


- क. प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर स्थायी आधार केन्द्र की स्थापना की जाय ।  
ख. विशेष अभियान चलाकर सभी स्कूलों के बच्चों का आधार पंजीकरण कराया जाय ।  
ग. UIDAI द्वारा ऑपरेटरों के प्रशिक्षण की जिलों में भी व्यवस्था कराई जाय ।  
घ. जिन जिलों में 50% से अधिक आधार पंजीकरण हो चुका है उन जिलों में आधार Seeding की प्रक्रिया तुरन्त प्रारंभ कि जाय ।  
ङ. आधार Seeding हेतु विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाय।  
ADG कैम्प कार्यालय अन्य विभागों के नोडल पदाधिकारियों को जानकारी दे कि ई-आधार किस प्रकार डाउनलोड किया जाय एवं इसके क्या टूल्स हैं ।  
च. ऑगनबाड़ी के बच्चों का भी पंजीकरण स्कूल कैम्प के साथ साथ किया जाय।  
छ. स्थायी आधार केन्द्र पर ही आधार कार्ड के वितरण की व्यवस्था की जाय ।  
अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

  
मुख्य सचिव  
बिहार ।

जापांक:- 230810  
गा0वि0-5/आधार (बैठक)-14-01/2014

पटना, दिनांक :- 11/5/2015

प्रतिलिपि :- सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मानव संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग, नगर एवं आवास विभाग, कृषि विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
मुख्य सचिव ।  
ग्रामीण विकास विभाग

उपस्थिति:-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना
3. अध्यक्ष एवं महानिदेशक, UIDAI, भारत सरकार ।
4. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
5. श्री सुधीर कुमार, प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना ।
6. श्री दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
7. श्री अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना ।
8. श्री पंकज कुमार, सचिव, खाद्य एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।
9. श्री आर. लक्ष्मणन, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना ।
10. श्री एस.एम. राजू, सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, बिहार, पटना ।
11. श्रीमती कनक बाला, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
12. श्रीमती नन्दना मुंशी, DDG, UIDAI
13. श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ASIO, NIC, Bihar
14. श्री अशोक पियदर्शी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
15. श्री आर.एस.सिंह, अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
16. श्री महेन्द्र प्रसाद, वरीय प्रबंधक, जोनल ऑफिस, देना बैंक
17. श्री अमरेन्द्र प्रसाद, प्रबंधक, जोनल ऑफिस, देना बैंक
18. श्री नरेन्द्र कुमार, प्रबंधक, जोनल, ऑफिस, ईलाहाबाद बैंक
19. श्री राजेश कुमार सिंह ADG, UIDAI
20. श्री देव शंकर, ADG, UIDAI
21. श्री अनिल राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना ।
22. श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, NIC पटना ।
23. श्री राजीव खरे, सहायक मुख्य प्रबंधक, जोनल ऑफिस ईलाहाबाद बैंक
24. श्री मनोज कुमार, Dy secretary, BCEBC, Welfare Dept. Bihar patna
25. श्री के.के. प्रसाद, Dy Director, Health Dept. Bihar patna
26. श्री पी.के. उपाध्याय, ADG, UIDAI
27. श्री प्रणव कुमार झा, SAS, Department of Postal
28. श्री परिमल सिन्हा, Director postal service, Dept of postal
29. श्री देवेश रौशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, पटना बिहार ।